

CNR NO. UPBU04-026280-2022

न्यायालय सिविल जज (अवर खंड)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष

संख्या-03 बुलन्दशहर।

कम्प्यूटर रजि० संख्या-16604/2022

हर्षवर्धन बनाम योगेश

दिनांक-10.10.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी उपस्थित। परिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर "Not pres" का कथन किया गया है।

पत्रवली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा धारा-200 दं० प्र० स० में अपना बयान कराने के अतिरिक्त 202 दं० प्र० सं० में अन्य साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया है। परिवादी द्वारा परिवाद पत्र के पृष्ठ पर "Not pres" पृष्ठांकित किया गया व आदेश पत्र पर भी "Sir not press" लिखा गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में विपक्षीगण तलब किये जाने योग्य नहीं हैं। अतः मामले के उपरोक्त तथ्यां एवं परिस्थितियों में परिवादी का वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा-203 दं० प्र० सं० निरस्त किया जाता है।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक-10.10.2023

(सुरभि वर्मा)

JO.CO. UP 3726

न्यायालय सिविल जज (अवर खंड) न्यायिक मजिस्ट्रेट,
त्वरित न्यायालय, -03, बुलन्दशहर।